# कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

**Email id: nodalofficerddn@gmail.com** **Phone/Fax: 0135 2767611**

पत्रांक– 1017 /FP/UK/SCH/40755/2019 :देहरादून:दिनांकः 15 अक्टूबर, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
देहरादून।

विषय– देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश के आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) परिसर कक्ष संख्या–1 में पूर्व से चल रहे केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 2.41 हे0 वन भूमि का नवीनीकरण के प्रस्ताव के सम्बन्ध में। **(Online Proposal No. FP/UK/SCH/40755/2019)**

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 868/12–1(1) दिनांक 11.10.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा चाहे गये बिन्दुओं पर सूचना प्रेषित की गई है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 29.06.2022 जो प्रभागीय वनाधिकारी को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें प्रकरण पर मुख्य सचिव, महोदय की अध्यक्षता में दिनाकं 28.03.2022 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त (दिनांक 31.03.2022) के अनुसार प्रस्ताव का परीक्षण करने के निर्देश दिये गये थे। कृपया तद्नुसार प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही कर सूचना/आख्या इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या :– 1017 / FP/UK/SCH/40755/2019 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
2. प्राचार्या, केन्द्रीय विद्यालय, ऋषिकेश।

15/10/22

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

# मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 28.03.2022 को आई0डी0पी0एल0 की भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में हुई बैठक का कार्यवृत्त–

उपस्थिति :

1. श्री आनन्द वर्द्धन, अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री दिलीप जावलकर, सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री विजय कुमार यादव, सचिव, वन एवं पर्यावरण उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री विनोद कुमार, प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड।
5. श्री पी0के0 पात्रो, मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, उत्तराखण्ड।
6. श्री अहमद इकबाल, अपर सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. श्री नीतीश मणि त्रिपाठी, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग।
8. श्री मयंक शेखर झा, उप वन संरक्षक, कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी।
9. श्री एस0पी0 सिंह, उप सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग उत्तराखण्ड शासन।

बैठक में प्रकरण से सम्बन्धित वस्तुस्थिति पर प्रकाश डालने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग द्वारा पी0पी0टी0 के माध्यम से एक प्रस्तुतीकरण दिया गया, जिसमें पूर्ण स्थिति से अवगत कराया गया। तदपश्चात मुख्य सचिव, महोदय की अध्यक्षता में दिनांक–29.11.2021 को इसी विषय पर आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के अनुपालन पर चर्चा हुई। बैठक के कार्यवृत्त का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित न होने पर मुख्य सचिव महोदय ने यह निर्देशित किया कि उनकी तरफ से सचिव, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार को एक अर्द्धशासकीय पत्र तत्काल प्रेषित किया जाये। तदोपरान्त उक्त लीज भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में बैठक में विचार–विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिये गयेः–

1. IDPL रिक्त भूमि को वन विभाग को चरणबद्ध तरीके से हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करें।
2. IDPL अपने प्रशासनिक भवन को अपनी आवासीय कॉलोनी के किसी आवास में अथवा अन्यत्र कहीं स्थानान्तरित करते हुए तत्काल रिक्त करें तथा फैक्ट्री एवं प्रशासनिक भवन व उसके आस–पास की भूमि को वन विभाग को हस्तगत करना सुनिश्चित करें।
3. IDPL अपने आवासीय भवनों को छोड़ते हुए शेष समस्त भवनों एवं उसके आस–पास की भूमि को वन विभाग को तत्काल हस्तान्तरित करें। IDPL अपने आवासीय भवनों में निवासरत IDPL के समस्त पूर्व कर्मचारियों को आवासीय भवन खाली करने हेतु सक्षम अधिकारी को नामित करते हुए उनके स्तर से विधिक नोटिस निर्गत कराना सुनिश्चित करें। इस हेतु यदि राज्य सरकार के सहयोग की आवश्यकता हो तो राज्य सरकार के द्वारा यथोचित सहयोग प्रदान किया जायेगा।
4. IDPL द्वारा यदि किसी अन्य विभाग को अपने स्तर से भूमि अथवा भवन आवंटित किया गया हो, तो उक्त विभाग को भूमि/भवन खाली करने हेतु विधिक नोटिस भेजना सुनिश्चित करें तथा उक्त के खाली हो जाने के पश्चात वन विभाग को हस्तान्तरित करें।
5. IDPL द्वारा जो भी भूमि वन विभाग को चरण बद्ध तरीके से हस्तान्तरित की जायेगी उक्त समस्त भूमि की अतिक्रमण से सुरक्षा हेतु घेरबाड़ किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस विषय पर यह निर्णय लिया गया कि वन विभाग द्वारा जो भी भूमि IDPL से वापस प्राप्त की जायेगी उस भूमि पर यथाआवश्यक चेनलिंक फैंसिंग/दीवार निर्माण की कार्यवाही वन विभाग द्वारा सम्पादित की जायेगी तथा उक्त पर होने वाले समस्त व्यय का वहन पर्यटन विभाग द्वारा किया जायेगा। प्रभागीय

वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग द्वारा समय–समय पर चेनलिंक फैंसिंग/दीवार निर्माण हेतु आवश्यक बजट की मांग का प्रस्ताव पर्यटन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

6. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि IDPL की भूमि को वन विभाग को वापस हस्तान्तरण के सम्बन्ध में बैठक पुनः दो सप्ताह बाद रखी जाये।
7. आई.डी.पी.एल. की भूमि के सम्बन्ध में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि भूमि में एस.टी.पी. चल रहा है, जिस पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा जल निगम के अधिकारियों से एस.टी.पी. को शिफ्ट किये जाने के सम्बन्ध में वार्ता कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
8. मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त भूमि को उपयोग हेतु पर्यटन विभाग को दिया जाना है अतः पर्यटन विभाग को कार्यालय खोले जाने के निर्देश दिये गये तथा भूमि उपयोग के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किये जाने हेतु पृथक से बैठक आहूत की जाय।
9. आई.डी.पी.एल. के देयक/बिल एवं अन्य देनदारियों के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाहीः– अपर मुख्य सचिव, वन/सचिव, पर्यटन/ऊर्जा/आई.डी.पी.एल./जिलाधिकारी, देहरादून।)

अन्त में उक्त निर्देशों के साथ बैठक का सधन्यवाद समापन किया गया।

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्याः– /VI(1)/2022
देहरादूनः दिनांकः मार्च, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, अपर सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण।
6. गार्ड फाईल।

Signed by Harish Kumar Sagar
Date: 31-03-2022 14:30:22

(हरीश कुमार सागर)
अनुसचिव।